पत्रांक– 3494/241/NULM/तीन/2019-20(SM&ID-SSP)

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
नगरीय रोजगार एवं गरीबी,
उन्मूलन कार्यक्र विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सी0पी0ओ0 / परि0 निदेशक / नगर आयुक्त सी0एम0एम0यू0, डूडा / नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। **लखनऊ : दिनांक 05 अगस्त 2019**

विषयः– दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह सदस्यों को "आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" एवं पोषण अभियान आदि से लाभान्वित किये जाने हेतु प्रभावशाली कार्यक्रम ''स्वस्थ एस0एच0जी0 परिवार'' का क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र सं0–K12012/6/2019-O/o US (UPA-I)-UD, 23 जुलाई, 2019 जो मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन को सम्बोधित एवं संयुक्त सचिव मिशन निदेशक (DAY-NULM) भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अर्द्धशासकीय पत्र सं0– 11025 दिनांक 26.07.2019 जो प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, नगर विकास, महिला एवं बाल विकास को सम्बोधित पत्र के अनुक्रम में मिशन निदेशक / निदेशक, सूडा के पत्रांक–3340 दिनांक 31.07.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

जारी 05/08/19

1. भारत सरकार के उल्लिखित पत्रों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में मिशन के अंतर्गत गठित पात्र स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को **"आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना"** – Ayushman Bharat- Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (AB-PMJAY), **कुपोषण अभियान से सम्बद्ध कर** लाभान्वित कराये जाने की अपेक्षा की गई है। उक्त के साथ ही समूह सदस्यों एवं उनके परिवार के सदस्यों हेतु **स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन कराकर** उनका स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से 02 अक्टूबर 2019 तक लाभान्वित कराये जाने के भी निर्देश निर्गत किये गये है।
2. मिशन के अंतर्गत गठित पात्र स्वयं सहायता समूह सदस्यों को AB-PMJAY से लाभान्वित कराये जाने हेतु SECC2 2011 के आंकड़ों के आधार पर आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा वार्डवार सूची तैयार की गयी है। उक्त वार्डवार सूची http://pmjay.gov.in/mohua.html. पर उपलब्ध है, जिसको डाउनलोड किये जाने हेतु मिशन के अंतर्गत कार्यरत शहर मिशन प्रबंधकों को सूडा, उ0प्र0 द्वारा नामित किया गया है। मिशन प्रबंधकों को ई–मेल अथवा उनके मोबाइल पर भारत सरकार द्वारा user ID, password एवं OTP भेजा जा रहा है। जिसके माध्यम से वह सूची डाउनलोड कर प्रिंट निकालेंगे तथा वार्डवार गठित एस0एच0जी0 की ए0एल0एफ0 स्तर पर / मुहल्ला स्तर पर / अथवा एस0एच0जी0 बाहुल्य क्षेत्रों में सभी सदस्यों की बैठक बुलाकर **आयुष्मान हेल्थ कार्ड** हेतु समूह सदस्यों के नाम का सत्यापन कर सूचीबद्धता की जायेगी। उक्त सूची में दो प्रकार के नाम मिलेंगे एक तो सत्यापित सदस्य होगा जिसे CSC को सन्दर्भित कर समन्वय के माध्यम से आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनवाया जायेगा। कतिपय नाम सत्यापित नहीं होंगे जिन्हें अलग से सूचीबद्ध करके उन्हें सत्यापित (राशन कार्ड एवं मोबाइल नम्बर के माध्यम से) कराया जायेगा। साथ ही कुछ सदस्यों के नाम वार्ड वार डाउनलोड की गई सूची मे नहीं पाये जाने पर उनकी अलग से सूची तैयार कर संरक्षित रखी जायेगी, जिसे भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

3. मिशन के पात्र SHG सदस्यों के चिन्हीकरण हेतु वार्ड/मुहल्ला/ए0एल0एफ0 स्तर पर बैठकें आयोजित कर पात्र सदस्यों का सत्यापन, भारत सरकार द्वारा की गई अपेक्षा के क्रम में **विगत मार्च 2018 में आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत कार्य सम्पादित करने वाले वार्डवार नगरीय निकाय कर्मियों** (Health Inspector/JE/Sanitary Inspector/अन्य कर्मियों) एवं **स्वास्थ्य तथा बाल विकास एवं महिला कल्याण विभाग के वार्ड स्तरीय कर्मियों** (ANM/ASHA/कोआडिनेटर) के द्वारा किया जायेगा।

4. प्रस्तर–3 के अनुसार वार्ड वार नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास के वार्ड स्तरीय कर्मियों को उक्त कार्य ससमय पूर्ण किये जाने हेतु तत्काल नामित कर दिया जाये तथा स्पष्ट रूप से निर्देशित भी किया जाये कि संलग्न समय सारणी के अनुसर सी0एम0एम0यू0, डूडा से समन्वय कर कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5. **मिशन के अंतर्गत गठित एस0एच0जी0 सदस्यों को "पोषण अभियान"** से भी सम्बद्धता की जानी है, जिसके दृष्टिगत महिला एवं बाल विकास विभाग को भी ससमय एस0एच0जी0 सदस्यों को लाभान्वित किये जाने हेतु डूडा से समन्वय कर ससमय कार्य का सम्पादन किया जाना है जिसके दृष्टिगत संबंधित को निर्देशित किया जाये।

6. एस0एच0जी0 सदस्यों एवं उनके परिवार हेतु स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन कराकर **स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं स्वास्थ्य सेवाएं दिये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी को भी निर्देशित किया जाये,** ताकि ससमय 100 दिवसीय कार्यक्रम 02 अक्टूबर तक पूरा किया जा सके।

7. "स्वस्थ एस0एच0जी0 परिवार" के विस्तृत दिशा निर्देश, समय सारणी एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश आदि सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

8. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार द्वारा लिए गये उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कार्यवाही एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक–यथोपरि।

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यांण, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय उ0प्र0।
7. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
8. निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उ0प्र0।
10. प्रभारी अधिकारी, पोषण अभियान, उ0प्र0।
11. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा उ0प्र0 की वबसाइट पर अपलोड हेतु।

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

16

दुर्गा शंकर मिश्र
सचिव
Durga Shanker Mishra
Secretary

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011
Government of India
Ministry of Housing and Urban Affairs
Nirman Bhawan, New Delhi-110011

D.O. No. K-12012/6/2019-O/o US (UPA-I)-UD
July 23 , 2019

Dear Anup,

It gives me immense pleasure to inform you that with active participation of your State, this Ministry has successfully organised the Deendayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) Pakhwada named '*Shehri Samridhi Utsav*' from February 1 to 15, 2019.

2. Now, through a 100 days impactful intervention scheme under DAY-NULM, named the 'Swasth SHG Pariwar', the Ministry is aiming to link all eligible SHG members with the Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) by October 2nd 2019 i.e. the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. In this regard a detailed advisory has already been sent from the Ministry.

3. You are aware that out of pocket expenditure on treatment of illness hits the poor severely and is one of the important determinants responsible for their poverty. The AB-PMJAY is a pioneering initiative which proposes to provide a cover of Rs. 5 lakh per family per year for cashless secondary and tertiary care, including pre and post-hospitalisation expenses. At present 1,350 health packages are available under this scheme.

4. Under DAY-NULM, today the SHG pariwar consists of over 38 lakh women, who would be reached out for linking to AB-PMJAY during this 100 days impact initiative. Besides, it is also planned to link eligible SHG members to POSHAN scheme and organise health check-up camps for the SHG members to achieve 'Swasth SHG Pariwar'.

5. As this initiative is to be completed in a time bound manner, your personal intervention is required to engage the concerned departments viz. Health, Women and Child Welfare and Municipal Administration. I would suggest a review meeting at your level shortly to boost the progress. Such focused intervention directed towards SHG members is expected to substantially improve their access to quality health care and help India take a step further towards achieving Universal Health Coverage (UHC) and Sustainable Development Goal-3 (SDG-3).

6. This Ministry has accomplished many milestones with active participation of your State. I am confident that this time again, together we will achieve the targets set out for this noble initiative.

With warm regards,

Yours Sincerely

DMishra

(Durga Shanker Mishra)

Dr. Anup Chandra Pandey,
Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh,
1st Floor, Room No. 110
Lal Bahadur Shastri Bhawan,
Uttar Pradesh Secretariat,
Lucknow - 226 001

SANJAY KUMAR, IAS
Joint Secretary
and Mission Director (DAY-NULM)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

सत्यमेव जयते

संजय कुमार, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव
एवं मिशन निदेशक (दी.अ.यो.–रा.श.आ.मि.)
भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

D.O. No. N-11025/18/2019-LSG

Dated: 26th July, 2019

Dear Sir/Madam,

Please refer to the D.O. letter No. K-12012/6/2019-UPA dated 17.07.2019 on *"Swasth SHG Pariwar"* to be implemented under Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM).(copy enclosed)

2 It is proposed to undertake the beneficiary validation exercise from amongst the urban SHG members, through a team of officials – one from the ULB and other from the State Health Department, for each ward or a group of contiguous wards. You may be aware that during March 2018, a similar exercise of ward-wise validation of urban beneficiaries for AB-PMJAY, as per the relevant SECC 2011 data, had been conducted by the ULBs through a team of officials, consisting of one ULB official and one health worker eg ANM/ASHA/Coordinator.

2.1 You are requested to issue necessary directions for the ULBs to nominate one official (Health Inspector/ Junior Engineer/ Sanitary Inspector/ other employee of the ULB) for each ward or a groups of contiguous wards, preferably from among those who had worked on AB-PMJAY beneficiary validation program in March, 2018. For nomination of the other member of the team, we are requesting the State Health department.

2.2 Further, the ULBs may also be directed, to provide the following details of the nominated Nodal Officer one per ULB for downloading data to the Ministry: (a) Name of the person, (b) Name of the ULB, (c) Designation, (d) Mobile No, (e) Landline and (f) E-mail I.D. For a swift action at the Ministry's end the details may kindly be also send via email on the email I.Ds dirud-mud@nic.in or uslsg-mud@gov.in.

With Regards,

(Encl: As above)

Sd/-
(Sanjay Kumar)

To

The Principal Secretary/Secretary,
(Urban Development / Local Self Government)
of all States/UTs.

Copy to: The Principal Secretary/Secretary,
(Health / Family Welfare Department Government)
of all States/UTs, **with a request to direct the District Health Officers, to nominate one ANM/ASHA/Coordinator in coordination with the ULBs**.

(Sanjay Kumar)

राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ–226027
e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांकः–3340 /241/NULM/तीन/2019–20(SM&ID-SSP) दिनांक 31/07/2019

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा, उ0प्र0
2. समस्त नगर आयुक्त/सी0पी0ओ0/परियोजना निदेशक नगर निगम/डूडा, उ0प्र0

विषयः–दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना एवं पोषण अभियान आदि से लाभान्वित किये जाने हेतु 100 दिवसीय प्रभावशाली कार्यक्रम "स्वास्थ्य एस0एच0जी0 परिवार" का क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र सं0 के 12012/6/2019– जुलाई 23, 2019 जो मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन को सम्बोधित एवं संयुक्त सचिव मिशन निदेशक (DAY-NULM) भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अर्द्धशासकीय पत्र सं0– 11025 दिनांक 26.07.2019 जो प्रमुख सचिव नगर विकास को सम्बोधित एवं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को पृष्ठांकित है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में मिशन के अंतर्गत गठित पात्र स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – Ayushman Bharat- Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (AB-PMJAY) कुपोषण अभियान एवं स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन कराकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से 02 अक्टूबर 2019 तक लाभान्वित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. मिशन के अंतर्गत गठित पात्र स्वयं सहायता समूह सदस्यों को AB-PMJAY से लाभान्वित कराये जाने हेतु SECC 2011 के आंकड़ों के आधार पर आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु वार्डवार सूची तैयार की गयी है। उक्त वार्डवार सूची http://pmjay.gov.in/mohua.html. पर उपलब्ध है। उक्त सूची को डाउनलोड किये जाने हेतु मिशन के अंतर्गत आबद्ध शहर मिशन प्रबंधकों को नामित किया गया है। मिशन प्रबंधकों को ई–मेल अथवा उनके मोबाइल पर भारत सरकार द्वारा user id, password एवं OTP भेजा जायेगा, जिसके माध्यम से वह सूची डाउनलोड कर प्रिंट निकालेंगे तथा वार्डवार गठित एस0एच0जी0 की ए0एल0एफ0 स्तर पर/मुहल्ला स्तर पर/अथवा एस0एच0जी0 बाहुल्य क्षेत्रों में सभी सदस्यों की बैठक बुलाकर आयुष्मान हेल्थ कार्ड हेतु सूची बद्धता की जायेगी। उक्त सूची में दो प्रकार के नाम मिलेंगे एक तो सत्यापित सदस्य होगा जिसे CSC को सन्दर्भित कर समन्वय के माध्यम से आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनवाया जायेगा। कतिपय नाम सत्यापित नहीं होंगे जिन्हें अलग से सूचीबद्ध करके उन्हें सत्यापित (राशन कार्ड एवं मोबाइल नम्बर) कराया जायेगा।

जारी 31/07/19

3. मिशन के पात्र SHG सदस्यों को चिन्हीकरण हेतु वार्ड/मुहल्ला/ए0एल0एफ0 स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों हेतु पात्र सदस्यों के सत्यापन हेतु भारत सरकार द्वारा की गई अपेक्षा के क्रम में विगत मार्च 2018 में आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत कार्य किये वार्डवार नगरीय निकायकर्मी (Health Inspector/JE/Senatary Inspector/अन्यकर्मियों) को तथा स्वास्थ्य एवं बाल विकास एवं महिला कल्याण विभाग के वार्डकर्मी ANM/ASHA/कोऑडिटर) को नामित किये जाने हेतु सम्बन्धित को इस आशय से निर्देशित करें कि वह संलग्न समय सारणी के अनुसार कार्य सम्पादन हेतु निर्धारित अवधि तक अपने–अपने विभाग के कर्मियों को नामित करना सुनिश्चित करें।

4. मिशन के अंतर्गत गठित एस0एच0जी0 सदस्यों को पोषण अभियान से भी सम्बद्धता की जानी है, जिसके दृष्टिगत सम्बन्धित विभाग को भी ससमय एस0एच0जी0 सदस्यों को लाभान्वित किये जाने एवं डूडा से समन्वय कर ससमय कार्य का सम्पादन किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. एस0एच0जी0 सदस्यों एवं उनके परिवार हेतु स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन कराकर **स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं स्वास्थ्य सेवाएं दिये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी को भी निर्देशित करने का कष्ट करें,** ताकि ससमय 100 दिवसीय कार्यक्रम 02 अक्टूबर तक पूरा किया जा सके।
6. स्वास्थ्य एस0एच0जी0 परिवार के विस्तृत दिशा निर्देश, समय सारणी एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश आदि सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि समस्त कार्यक्रम को ससमय पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक–यथोपरि।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
3. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
4. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों हेतु भारत सरकार की 100 दिन की प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप योजना

उद्देश्य

स्वस्थ्य स्वयं सहायता समूह परिवार (Swasthya SHG Pariwar-SSP)

भारत सरकार द्वारा मिशन के अन्तर्गत 100 दिवसीय अभियान के माध्यम से गठित समूहों के सदस्यों को स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित किये जाने हेतु एक पहल "स्वस्थ स्वयं सहायता समूह परिवार" का शुभारम्भ किया गया है। उक्त पहल के अन्तर्गत गठित पात्र समूह सदस्यों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड, पोषण अभियान एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराकर 2 अक्टूबर 2019 तक लाभान्वित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

संलग्नक–क

"स्वस्थ्य एस0एच0जी0 परिवार" (SSP) : भारत सरकार द्वारा शुभारम्भ की गयी एक प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप योजना है, जिसके अन्तर्गत समस्त पात्र स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को "आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)" एवं "पोषण अभियान (POSHAN)" से सम्बद्ध कर लाभान्वित कराना है। उक्त के साथ ही एस0एच0जी0 के सभी सदस्यों एवं उनके परिवार हेतु कैम्प का आयोजन कर स्वास्थ्य जाँच एवं स्वस्थ्य सेवाओं से भी लाभान्वित कराना है।

अर्ह एस0एच0जी0 के सदस्यों को "आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)" एवं "पोषण अभियान" से सम्बद्धता

सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (**Socio-Economic Cast Census-2011** (नगरीय) के आंकड़ों के आधार पर विगत वर्ष "आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" हेतु पात्र व्यक्तियों की पहचान करने और अतिरिक्त जानकारी (राशन कार्ड नम्बर एवं मोबाइल नंबर) एकत्रित करने का कार्य स्थानीय नगर निकायों द्वारा किया गया है।

वर्तमान में 100 दिवसीय कार्यक्रम **"स्वस्थ्य एस0एच0जी0 परिवार"** को सुचारू रूप से क्रियान्वित कराने हेतु स्थानीय नागर निकायों के "आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" हेतु विगत वर्ष नामित नोडल अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को, जो इस कार्य से सम्बद्ध रहे हैं को इस पहल मे भी नामित कर DAY-NULM के अन्तर्गत कार्यरत संदर्भ संस्थाओं, समुदाय आधारित संस्थाओं (क्षेत्र स्तरीय समितियां, शहर स्तरीय समितियां तथा शहरी सहभागिता मंच) का भी सहयोग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया जाना है।

पात्र एस0एच0जी0 के सदस्यों को "आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" एवं पोषण अभियान से सम्बद्धता हेतु प्रक्रियाएं निम्नवत हैं :–

1. **स्थानीय नागर निकायों एवं DAY-NULM के कर्मियों का "आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" एवं "पोषण अभियान" के अन्तर्गत संवेदीकरण –**
   - राज्य स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जाए, जिसमें DAY-NULM के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महिला बाल विकास तथा स्थानीय नागर निकायों के अधिकारियों को उक्त "स्वस्थ्य एस0एच0जी0 परिवार" (SSP) पहल के बारे में समुचित जानकारी दिया जाना है।
   - इसी प्रकार "स्वस्थ्य एस0एच0जी0 परिवार" (SSP) प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित किये जाने हेतु शहर स्तर पर भी उन्मुखीकरण

कार्यशाला का आयोजन किया जाय, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महिला बाल विकास एवं स्थानीय नागर निकायों को उनकी भूमिका एवं दायित्वों के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाये, ताकि उक्त पहल को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके। कार्यशाला के दौरान ही सी0एम0एम0यू0, डूडा/यू0एल0बी0 द्वारा सभी हितधारकों को शामिल करते हुए कार्य योजना का निर्धारण कर तदानुसार तेजी से कार्य करते हुए निर्धारित अवधि में "स्वस्थ्य एस0एच0जी0 परिवार" का लक्ष्य पूर्ण किया जाना है।

- जिलाधिकारी/नगर आयुक्तों द्वारा यह सी0एस0सी0 के जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को इस पहल में सहभागी बनाते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि क्षेत्र स्तरीय समितियों की बैठक में आयुष्मान भारत कार्ड हेतु एस0एच0जी0 के पात्र लाभार्थियों के चिन्हीकरण/चयन के दौरान सी0एस0सी0 कर्मी उपस्थित रहे।
- जनपद/शहर स्तर पर की जाने वाली कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को आई0ई0सी0 सामग्री का वितरण अवश्य किया जाए। "आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" एवं "पोषण अभियान" से सम्बंधित आई0ई0सी0 सामग्री हेतु सम्बन्धित को पूर्व से ही निर्देशित कर उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए।
- एडवाइजरी प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर शहर हेतु निर्धारित तिथि में शहर स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2. स्वयं सहायता समूहों के समस्त पात्र सदस्यों को अपेक्षित सूचनाओं के साथ "आयुष्मान भारत" एवं "पोषण अभियान" से सम्बद्धता।

चरणबद्ध गतिविधियां निम्नवत हैं :–

1. सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा स्थानीय नागर निकायों के साथ "आयुष्मान भारत के अन्तर्गत शहरी लाभार्थियों का वार्डवार SECC (Socio Economic Cast Census - 2011) डाटा डाउन लोड कर प्रिन्ट निकालना तथा साझा करना।

1.1 आयुष्मान भारत का वार्ड वार पृथक डाटा http://pmjay.gov.in/mohua.html. पर उपलब्ध है, जिसे तत्काल डाउनलोड कर, वार्डवार प्रिन्ट निकालना है।

1.2 नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी से अनुरोध है कि इस योजना में विगत वर्ष मार्च 2018 में कार्य कर चुके अधिकारी/कर्मचारियों को नामित कर कर्मी का नाम, पद नाम, ई–मेल, मोबाइल नंबर भेजे जो उक्त कार्य को संपादित करेंगे। SECC (Socio Economic Cast Census -2011) डाटा हेतु नामित नोडल अधिकारी आयुष्मान हेल्थ कार्ड से एस0एच0जी0 को लाभान्वित किये जाने हेतु लाभार्थियों की पहचान करेंगे। नोडल अधिकारी वही रहेंगे, जिन्होंने पहले चरण में कार्य किया हो तथा नोडल अधिकारी एवं सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा 2 अक्टूबर 2019 तक मोबाइल नंबर बदला नहीं जायेगा। इसी नम्बर पर लाग इन आई0डी0, पासवर्ड एवं ओ0टी0पी0 आयेगा। जिसके माध्यम से पी0डी0एफ0 फाइलें डाउनलोड कर कार्य का सम्पादन किया जायेगा।

1.3 स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप योजना को सफल बनाये जाने हेतु वार्ड स्तर पर लाभार्थियों की पहचान/वैलीडेशन आदि कार्य हेतु विगत मार्च 2018 में "आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" एवं "पोषण अभियान" में कार्य कर चुके कर्मी (ए0एन0एम0/आशा/कोआडिनेटर) को नामित किया जायेगा। उक्त कर्मी नागर निकाय कर्मी के साथ सिटी मिशन मैनेजर– DAY-NULM के निर्देशन में कार्य करेंगे।

1.4 http://pmjay.gov.in/mohua.html. से वार्डवार पी0डी0एफ0 फाइलें साथ सिटी मिशन मैनेजर– DAY-NULM द्वारा डाउनलोड कर, वार्ड स्तर पर (SSP) प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप योजना हेतु नामित नगरीय निकाय कर्मी (Health Inspection/JE/Sanitary

Inspector/other employee) एवं स्वास्थ्य कर्मी (ए0एन0एम0 / आशा / कोआर्डिनेटर) जो विगत मार्च 2018 में "आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" में लाभार्थी सत्यापन (Validation) का कार्य कर चुके हैं को उपलब्ध करायेंगे। नागर निकाय कर्मी एवं स्वस्थ्य कर्मियों द्वारा गठित एस0एच0जी0 के सदस्यों का मिलान उक्त सूची से किया जायेगा।

1.5 शहर मिशन प्रबन्धक DAY-NULM द्वारा सम्पूर्ण गतिविधियों को सुपरवाइज किया जायेगा। (एस0एच0जी0 के SECC-2011 के आंकड़ो से मिलान कर Validated डाटा को एकत्र किया जायेगा, Non Validated Data को Validate राशन कार्ड एवं मोबाइल नंबर की इन्ट्री कराकर) कराया जायेगा तथा जिन एस0एच0जी0 सदस्यों के नाम SECC-2011 में नहीं है, उनकी सूची अलग से तैयार कर उसमें राशन कार्ड नम्बर मोबाइल नंबर सहित अलग से संरक्षित की जायेगी। उक्त Validated एवं लाभान्वित आंकड़ों को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय / PMJAY पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा।

2. आयुष्मान भारत योजना से एस0एच0जी0 को उनकी अर्हता अनुरूप लाभान्वित किये जाने हेतु सुगमीकरण :

2.1 स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर वार्ड / मोहल्ला वार क्षेत्र स्तरीय समितियों की बैठक बुलाकर समूहों के सदस्यों को योजना की विस्तृत जानकारी देना। उक्त बैठक से पूर्व सभी समूह सदस्यों को सूचित करना कि बैठक में प्रतिभाग करने हेतु वह अपने साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर की सूचनाएं एवं एक–एक प्रति साथ में लायें। एस0एच0जी0 सदस्यों को योजनान्तर्गत दिये जाने वाले सभी लाभ पात्रता की जानकारी देकर संवेदित किया जाना है।

2.2. इस पहल का मुख्य उद्‌देश्य है कि सभी पात्र स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को "आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" का लाभ दिलाया जाय। उक्त हेतु मुहल्ला, ए0एल0एफ0 स्तर अथवा एक–दो मुहल्ले में गठित समूहों की बैठक क्षेत्र स्तरीय समिति के माध्यम से की जाय। जहां ए0एल0एफ0 नहीं है वहां एस0एच0जी0 की बैठक की जाय। क्षेत्र स्तरीय समिति की आवश्यकतानुसार एक से अधिक बैठक भी की जायेगी। उक्त बैठकों के साथ ही सभी एस0एच0जी0 सदस्यों को लाभान्वित किये जाने हेतु यदि आवश्यकाता हो तो डोर टू डोर भ्रमण कर लाभार्थी के घरों का दौरा कर उनको उक्त योजना के बारे मे संवेदित कर लाभान्वित किया जाना है।

2.3. बैठकों के दौरान ऐसे लाभार्थी जिनका नाम मान्य Validated सूची में उपलब्ध हो, उनको बैठक में आयुष्मान हेल्थ कार्ड हेतु उपस्थित सी0एस0सी0 के कर्मी द्वारा आयुष्मान हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। जिलाधिकारी / नगर आयुक्त सी0एस0सी0 नोडल अधिकारी को निर्देशित करें कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि सी0एस0सी0 के कर्मी बैठकों मे उपस्थित रहे तथा जारी किये जा रहे कार्डो के रिकार्ड को भी अपडेट करेंगे तथा आयुष्मान हेल्थ कार्ड निर्धारित दरों में ही लाभार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेगे।

2.4 डाउनलोड की गयी वार्डवार सूची के अतिरिक्त अधिकारियों / कर्मियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो "mera pmjay.gov." या "mera PMJAY" मोबाइल एप का उपयोग करके एस0एच0जी0 के पात्र लाभार्थियों की पात्रता जाँच हेतु स्वयं सेवकों के माध्यम से भी कराकर लाभान्वित करा सकते हैं, परन्तु उक्त आंकड़ों का विवरण भी रिकार्ड किया जायेगा तथा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

2.5. यदि एस0एच0जी0 के पात्र सदस्यों का नाम SECC-2011 सूची में अंकित है, परन्तु उनका राशन कार्ड नंबर एवं मोबाइल नंबर नहीं पड़ा है तो नोडल अधिकारी

सी0एम0एम0 सभी सूचनाएं एकत्रित कर अपलोड करवाएंगे (इस कार्य हेतु अधिकतम 20 दिनों की समय सीमा निर्धारित है, पोर्टल में शामिल किए गए निर्देशों के अनुसार) (http://pmjay.gov.in/mohua.html)

2.6. एस0एच0जी0 की ऐसी महिलाएं जो राज्य के मापदंड के अनुसार शहरी गरीबों की श्रेणी में आती हैं, किन्तु SECC-2011 सूची में उनका नाम दर्ज नहीं है, उक्त सभी महिला सदस्यों की सूचनाएं जैसे राशन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आदि एकत्रित करके सिटी मिशन मैनेजर भविष्य की कार्यवाही के लिए अपने पास सूची तैयार करके संरक्षित रखेगा।

2.7. सभी कार्यशालाओं/बैठकों/डोर टू डोर सम्पर्क की (क्षेत्र स्तरीय समितियों की बैठक ई–कार्ड सुविधा की उपलब्धता आदि) का उच्च कोटि हाई रिज्यूलूशन फोटो एन0यू0एल0एम0 पोर्टल पर नियमित सिटी मिशन मैनेजर द्वारा अपलोड किया जायेगा तथा सी0डी/पेन ड्राइव के माध्यम से सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. **सभी पात्र स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को "पोषण अभियान" से सम्बद्धता**

"पोषण अभियान" एक फ्लैगशिप योजना है, जिसका उद्देश्य बच्चों, किशोरों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण में सुधार करना है। विगत वर्ष सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा नवम्बर 2018 से फरवरी 2019 तक चलाये गए "शहरी समृद्धि उत्सव" के दौरान चिन्हित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को "पोषण अभियान" से सम्बद्धता हेतु कतिपय एस0एच0जी0 सदस्यों को चिन्हित किया गया था तथा लाभान्वित भी कराया गया था, उसी क्रम में पुनः इस पहल में भी निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना है :

3.1 पुनः जांच कर लें कि, विगत वर्ष ''शहरी समृद्धि उत्सव'' के दौरान जिन स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को पोषण अभियान से सम्बद्ध किया गया था, क्या वो लाभान्वित हो रही है। यदि हो रही हो तो पूर्व के रिकार्ड की जांच कर लें। यदि नहीं हो रही हो तो पुनः लाभान्वित करायें। शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़ा के दौरान चिन्हित परन्तु लाभ से वंचित महिलाओं को प्रथम वरीयता के क्रम में लाभान्वित कराया जाना है।

3.2 उक्त के साथ ही अन्य पात्र एस0एच0जी0 सदस्यों को भी पोषण अभियान से लाभान्वयन हेतु शहर स्तरीय समितियां, क्षेत्र स्तरीय समितियों, स्वयं सहायता समूह, महिला आरोग्य समिति तथा अन्य स्वैच्छिक समूहों के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को चिन्हित करना तथा पोषण अभियान से सम्बद्ध कराकर लाभान्वित किया जाय।

3.3 ''आयुष्मान भारत'' हेतु क्षेत्र स्तरीय समितियों की बैठकों में प्रतिभाग करने वाले स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को पोषण अभियान के अंतर्गत होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जायेगी तथा अर्ह सदस्यों को लाभान्वित कराया जायेगा।

3.4 गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली धात्री महिलाओं को प्रोत्साहित करना कि वो आंगनवाड़ी केंद्र जाकर शहरी स्वास्थ्य और पोषण दिवस में अवश्य भाग लें।

3.5 सभी गतिविधियों के उच्च कोटि के फोटो NULM पोर्टल पर समय–समय पर अपलोड करें, ई–मेल के माध्यम से सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध करयें तथा सी0डी0/पैन ड्राइव के माध्यम से भी सूडा, उ0प्र0 को उपलब्ध करायें।

4. स्वयं सहायता समूह सदस्यों हेतु स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन कराना

4.1 निर्धारित तिथियों के अनुसार स्थानीय स्तर पर एस0एच0जी0 बाहुल्य क्षेत्रों में उपयुक्त स्थल का चिन्हांकन एवं निर्धारण कर स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की स्वास्थ्य जांच एवं

सेवा के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाय। स्वयं सहायता समूहों को इस तरह के शिविरों के बारे में पहले ही सचेत किया जाय कि वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ पूर्व में चल रहे इलाज के अभिलेखों (डा0 का पर्चा, जांच रिपोर्ट आदि) के साथ निर्धारित स्थल पर ससमय उपस्थित हों।

4.2 स्वास्थ्य जांच शिविर में आने से पूर्व स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आवश्यक जानकारी जैसे आई0डी0 प्रूफ, नवीनतम प्रिस्किप्शन, यदि कोई सर्जरी हुई हो तो उससे सम्बंधित रिकार्ड एक्स रे, अल्ट्रासाउण्ड आदि साथ में लाने हेतु भी सूचित किया जाये।

4.3 स्वास्थ्य जांच शिविरों के आयोजन के लिए सी0पी0ओ0 / परियोजना निदेशक / नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारी इन स्वास्थ्य जांच शिविरों में स्वयं सहायता समूहों की 100 प्रतिशत सहभागिता परियोजना अधिकारी डूडा के माध्यम से सुनिश्चित करायेंगे।

4.4 स्वास्थ्य जांच शिविरों के सफल संचालन की सुविधा हेतु क्षेत्र स्तरीय समितियों एवं शहर स्तरीय समितियों के समस्त सदस्य भी शिविरों में उपस्थित रहेंगे।

4.5 उच्च कोटि के फोटो NULM पोर्टल पर समय–समय पर अपलोड किया जायेगा, ई–मेल के माध्यम से सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा, तथा सी0डी0 / पैन ड्राइव के माध्यम से भी सूडा, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक–ख

एम0आई0एस0 पर दैनिक अपडेशन

आयुष्मान हेल्थ कार्ड हेतु नान वेलीडेटेड (असत्यापित) लाभार्थियों को सत्यापित (Validate) किये जाने एवं आयोजित हेल्थ कैम्पों आदि की समस्त गतिविधियों की इन्ट्री किये जाने हेतु NHA पोर्टल पर उपयुक्त फील्ड्स का समावेशन किया गया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के MIS पोर्टल पर भी अलग से डैश बोर्ड बनाया गया है। इन पोर्टल पर दैनिक आधार पर की जा रही गतिविधयों की एन्ट्री सी0एम0एम0 द्वारा की जायेगी।

संलग्नक—ग

राज्य शहरी आजीविका मिशन—सूडा, उ0प्र0 भारत सरकार की पहल

स्वस्थ्य स्वयं सहायता समूह परिवार (Swasthya SHG Pariwar-SSP)

100 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन हेतु अन्तरिम समय सारणी

क्र0सं0	विवरण	तिथि
1	राज्य स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत करना	31.07.2019
2	SSP के सम्बन्धमें सी0एम0एम0 को दूरभाष के माध्यम से संवेदित करना।	29.07.2019 से 31.07.2019
3	मिशन के अन्तर्गत गठित एस0एच0जी0 की वार्डवार मैपिंग करना	01.08.2019 से 03.08.2019
4	आयुष्मान हेल्थ कार्ड हेतु अलग किये गये एस0ई0सी0सी0 के वार्डवार आंकड़ों का http://pmjay.gov.in/ mohua.html से डाउनलोड कर प्रिन्ट आउट निकालना	02.08.2019 से 04.08.2019
5	वार्डवार नागर निकाय एवं स्वास्थ्य कमियों की आवश्यकता का आंकलन एवं अभिलेखीकरण	04.08.2019
6	राज्य स्तर पर कार्यशाला का आयोजन (नगर विकास / नगरीय निकाय निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग / एन0एच0एम0 / महिला एवं बाल कल्याण विभाग एवं सी0एम0एम0 CMM DAY-NULM	06.08.2019
7	स्थानीय स्तर पर कार्य हेतु नगर निकाय एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को नामित कराना।	07.08.2019 से 08.08.2019
8	शहर / जनपद स्तर पर NHM, WCD & ULB कर्मियों के ओरियेन्टेशन हेतु कार्यशाला आयोजन ALF/CLF/SHG बैठकें एवं डोर टू डोर भ्रमण	09.08.2019 एवं 10.08.2019
9	(SHG सदस्यों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड हेतु वार्डवार प्रिन्टेड लिस्ट से मिलान कर चिन्हीकरण, वैलीडेटेड (सत्यापित) सदस्यों को कार्ड हेतु सी0एस0सी0 सन्दर्भित करके कराना, असत्यापित Non Validated को Validated (राशन कार्ड एवं मोबाइल नम्बर) कराना, पोर्टल पर इन्ट्री करना तथा जिन समूह सदस्यों के नाम वार्डवार सूची में नहीं है उनकी अलग से सूची तैयार करना तथा उनके नाम के साथ राशन कार्ड, मोबाइल आदि विवरण के साथ संरक्षित करना) एवं पोषण अभियान से लाभान्वित किये जाने हेतु सूची	13.08.2019 से 31.08.2019
10	उपरोक्त प्रक्रिया के उपरान्त भी आयुष्मान हेल्थ कार्ड से वंचित पात्र एस0एच0जी0 सदस्य लाभार्थियों के आंकड़ों का मिलान तथा बचे (leftout) हुए लाभार्थियों का Validation एवं Validated leftout सदस्यों के कार्ड हेतु सी0एस0सी0 से समन्वय कार्ड की उपलब्धता की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करना।	02.09.2019 से 07.09.2019
11	पोषण अभियान से चिन्हित एवं शहरी समृद्धि	13.08.2019 से 12.09.2019 तक

	उत्सव के दौरान चिन्हित परन्तु वंचित सदस्यों का लाभान्वित कराना	
12	स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन (शहर में उपरोक्त कार्यों के साथ अथवा समानान्तर स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन किया जा सकता है। शहर की आवश्यकता एवं शहर में गठित सभी एस0एच0जी0 को आच्छादित किये जाने हेतु एक दिन में एक से अधिक सी0एम0एम0 की उपलब्धता के अनुसार कई कैम्प का आयोजन किया जा सकता है।	01.09.2019 से 25.09.2019 तक
13	प्रचार प्रसार / प्रेस कान्फ्रेंसिंग / समाचार पत्रों में प्रकाशन / टी0वी0 चैनल्स / स्थानीय चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार	01.08.2019 से 25.09.2019 तक
14	सभी गतिविधियो के High Resolution फोटोग्राफ्स	06.08.2019 से 01.10.2019 तक
15	सभी गतिविधियों की रिपोर्ट NHA व NULM के डैश बोर्ड पर दैनिक आधार पर अपलोड करना	01.08.2019 से 01.10.2019 तक
16	अन्तिम रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करना (आंकड़े, गतिविधियां, उपलब्धियां, मीडिया कवरेज, फोटोग्राफ्स एवं कतिपय सफलता की कहानी सहित)	30.09.2019
17	गांधी जयन्ती के अवसर पर उपलब्धियों का व्यापक प्रचार प्रसार	02.10.2019

ANNEXURE

Objectives

"**Swasth SHG Pariwar (SSP)**" initiative envisages the linking of all eligible SHG members to the benefits of Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and Poshan Abhiyan and also proposes to organise health check-up camps for all SHG members.

Linking of Eligible SHG Members under Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana[1] and Poshan Abhiyan[2]

An exercise of identifying persons eligible for AB-PMJAY from the SECC 2011 (Urban) database and collecting additional information (ratio card number and mobile number) was carried out last year by the ULBs[3].

ULBs should use all those nodal officers and other staff, who were involved in the exercise referred to above in addition tothe NULM functionaries, Resource Organisations and community based organizations (ALFs, CLFs and Shehri Sahbhagita Manch) for the 100 days impactful intervention – "Swasth SHG Pariwar".

The following process may be followed in order to link the eligible SHG members with the AB-PMJAY and Poshan Abhiyan:

1. Sensitization of ULB and NULM functionaries about AB-PMJAY &Poshan Abhiyan

i. States shall organize workshop(s) at the state level of thefunctionaries of NULM, National Health Mission (NHM), Women and Child development and ULB officials to sensitize them about the objectives of SSP.

---

[1]Ayushman Bharat is a centrally sponsored scheme, which covers the poor and vulnerable families by providing them with coverage up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization.

[2]Poshan Abhiyan is a government scheme mission to ensure the nutrition of children, women, and pregnant mothers in impoverished areas.

[3]No. S-12012/57/2018-RSBY Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

ii. Similarly, an orientation at the city level also should be organized and NHM and W&CD officials to fix up their roles and responsibilities in successful implementation of SSP programme.ULBs should prepare an action plan during the this orientation by involving all the stakeholders.

iii. District Collector/Municipal Commissioner should involve CSC District Level Nodal Officer (CSC-DLNO) to ensure presence of CSC staff at the ALF meetings in order to issue Ayushman Bharat Cards to identified SHG members.

iv. During the workshops organised by the ULBs, IEC material shall be made available to the participants for further distribution. Further, a request to make available IEC material regarding AB-PMJAY and Poshan Abhiyan shall be made to the officials concerned.

v. These workshops shall be completed within a maximum of oneweek from the date of issue of this advisory.

2. Linking all eligible SHG members with requisite information to Ayushman Bharat &Poshan Abhiyan

The step-wise activities to be undertaken are as follows:

i. Sharing ward wise SECC data on Urban beneficiaries under Ayushman Bharat with ULBs

a. Ward-wise segregated dataof Ayushman Bharat scheme will be available on the http://pmjay.gov.in/mohua.html.

b. Municipal Commissioners/Executive officers are requested to send the Name, Designation, mobile numbers of one nodal officer **from ULB who had earlier worked on AB-PMJAY beneficiary validation program in March, 2018**and one CMMdesignated for this purpose. The designated nodal officersshall be provided login IDs and Password todownload the 'pdf' files of SECC data to

identify the Ayushman beneficiaries. The nodal officers identified should preferably be same who worked in the earlier round.

c. **The ward-wise 'pdf' files,downloadedby the designated nodal officers,to be distributed to a team of two officials, per ward or a group of contiguous wards – one from the ULB and other from the Health Department. The team to be comprised of a Health Inspector/ Junior Engineer/ Sanitary Inspector/ other employee of the ULB and a ANM/ASHA/Coordinator nominated by the Health Department,preferably from among those who had worked on AB-PMJAY beneficiary validation program in March, 2018.**

d. **The designated CMM to supervise the task of collection of the validated data of SHG members and updation of the same.**

ii. <u>Facilitation of Ayushman Bharat Scheme depending on nature of beneficiaries</u>:

a. Using the beneficiary lists for each ward/locality, ALF level meetings shall be held in coordination with the health functionaries to orient the SHG members about the scheme. The notice for such a meeting must include an instruction to the SHG members to carry their ration card, Aadhar card and mobile number details with them.

b. The key objective is to ensure that all eligible SHG members are brought under the Ayushman Bharat yojana. More than one meeting at ALF level and door-to-door visits may be undertaken, if required.

c. During the meetings, the beneficiaries, who figure in the validated list, shall be facilitated to get the cards from CSC staff present.The Collector/Municipal Commissioner should direct the CSC nodal officer to ensure presence of CSC persons at the meetings to update records to issue cards as per the prevailing rates.

d. Besides the downloaded ward wise list, Officials are encouraged to engage volunteers to checkeligibility of the SHG members using the mera.pmjay.gov.in website or the'mera PMJAY' mobile app.

e. With respect to the SHG members whose names are found in the SECC list, but mobile number and ration card numbers are not mentioned, the nodal officer shall collect details of the ration card number and mobile number. Such collection and upload of information must take place within 20 days (as per the instructions contained in the portal (http://pmjay.gov.in/mohua.html.).

f. The SHG women, who are urban poor according to the state criteria but don't figure in the SECC data, the requisite information i.e. ration card and mobile details should be collected and kept with the ULBs for further future action.

iii. Photographs of high resolution of the sensitization workshops, ALF meetings, e-Card facilitation etc. should be uploaded on the NULM portal and shared with the Ministry through CD/Pen-drive also.

3. Linking all eligible SHG members with PoshanAbhiyan

Poshan Abhiyan is India's flagship programme to improve nutritional outcome for children, adolescent and pregnant women and lactating mothers.

ULB staff and NULM functionaries have already conducted such drive to identify and link eligible SHG members with Poshan Abhiyan during November 2018 to February 2019 during ShehriS amridhi Utsav (SSU). The idea is to repeat the exercise as per the following protocol:

i. Rechecking whether all the SHG members linked with Poshan Abhiyan during SSU 2018-19, have received benefits under Poshan Abhiyan?

ii. To identifyand link eligible SHG members to Poshan Abhiyan involving the NULM functionaries, CLF, ALF, SHG groups, Mahila Arogya Samiti and other voluntary groups.

iii. At the ALF meetings proposed for linking SHG member to Ayushman Bharat, the SHG members should also be sensitized about the benefits of the Poshan Abhiyan.

iv. Pregnant women, lactating or nursing mothers should be encouraged to attend Urban Health and Nutrition Day at each Anganwadi Centre.

v. Photographs of high resolution of the activities performed should be uploaded on the NULM portal and shared with the Ministry through CD/Pen-drive.

4. **Organizing Health-Check up for all SHG Members**

i. Preventive Health check-up camps shall be organized for health screening of SHG members at designated locations, on specified dates. SHGs must be informed of such camps well in advance.

ii. The SHG members must also be informed about any pre-requisites such as carrying ID proof, latest prescriptions, records of surgical procedures in the past etc.

iii. Municipal Commissioners shall be the Nodal Officers responsible for organization of health camps. The nodal officer shall strive to ensure 100 percent coverage of SHG members in these health check-ups.

iv. ALF/CLF members to be present in all the health camps to facilitate successful operation of the camps.

v. Photographs of high resolution of the health camps to be shared with the Ministry through CD/pen drive and uploaded on the portal.

Annexure B

Appropriate fields for entry of data in respect of provision of AB cards, validation of non-validated beneficiaries in NHA portal, number of health camps organized etc. have been incorporated in the MIS portal.

The data entry should be done on daily basis regarding the activities undertaken.